यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, पित्थूवाला, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, पित्थूवाला, देहरादून के माह 04/2019 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन. यादव (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी), श्री पी.के. श्रीवास्तव (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) एवं श्री शरद चौधरी (सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ)) द्वारा दिनांक 06/03/2021 से 16/03/2021 तक श्री जे.एम.एस. रावत (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1.परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजा रंजन राव (स.ले.प.अ.) एवं श्री अरिंदम चटर्जी (स.ले.प.अ.) एवं श्री जोगिंदर सिंह (वरि. लेखापरीक्षक) द्वारा दिनांक 27/07/2019 से 05/08/2019 तक श्री संजय वर्मा (वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में निष्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2016 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

(i**) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** पम्प हाउस निर्माण, पेयजल वितरण एवं पाईप लाइन का रख-रखाव।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निमन्वत हैं।

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर-स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (+)
	स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	748.50	748.50	140.59	140.59	-	-
2019-20	-	-	781.78	781.78	150.46	150.46	-	-
2020-21 (up to 02/2021)	-	-	814.75	814.75	211.14	211.14	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं-

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2018-19	**शून्य**					
2019-20						
2020-21 (up to 10/2020)						

2. इकाई को बजट आबंटन योजना हेतु केंद्रीय सहायता, राज्य अनुदान एवं **स्वयं के श्रोत से** किया जाता है।गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "**B**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग

मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान

महाप्रबन्धक, जल संस्थान

अधीक्षण अभियंता

अधिशासी अभियंता, जल संस्थान

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, पित्थूवाला, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, पित्थूवाला, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **अक्तूबर 2019 तथा अक्तूबर 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

5. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह **03/2020** तथा **03/2020** तक की गई।

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह **02/2021** के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 1004887
(ख) सामग्री क्रय - ₹ 520000
(ग) नगद परिशोधन - Nil
(घ) निक्षेप- -
(ङ) भण्डार- - ₹3369676.69

भाग-II (ब)

प्रस्तर स0- 1 : खंड के अंतर्गत निष्पादित कार्यो एवं चयनित माहों के भुगतान बाउचर पर रु 3.51(रु 2.26 लाख + रु 1.25 लाख) लाख के लेबर सेस की कटौती का न किया जाना।

उत्तराखंड शासन श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग के शासनादेश के अनुसार राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागो के अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो की कुल लागत पर 1% की दर से लेबर सेस की कटौती किया जाना अनिवार्य है।

अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (मार्च 2021) मे पाया गया कि खंड के द्वारा संलग्नकानुसार 02 कार्यो एवं चयनित माह (10/2019 एवं 10/2020) के सापेक्ष विभिन्न vouchers के द्वारा कुल रु 351.00 लाख (रु 226.46 लाख + रु 124.54 लाख) का भुगतान किया गया था किन्तु उक्त राशि मे से 1% की दर से लेबर सेस के रूप मे कुल धनराशि रु 3.51 लाख (रु 2.26 लाख+ रु 1.25 लाख) की कटौती नहीं की गयी थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे तथ्य को स्वीकार्य करते हुये बताया गया कि खंड के संज्ञान मे आदेश न होने के कारण कटौती नहीं की गयी थी जिसकी कटौती कर ली जाएगी।

खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड द्वारा उक्त धनराशि की कटौती नहीं की गयी थी और जिसकी वसूली के प्रयास किए जाएँगे, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

अनुलग्नक – 'क'

(माह अक्टूबर 2019 हेतु ठेकेदारो को किये गये भुगतान एवं उस पर @ 1% की दर से देय लेबर सेस की गणना)

कम सं0	जर्नल बाउचर सं0	भुगतान बाउचर की धनराशि (रु में)
1.	175	356880.00
2.	177	87000.00
3.	178	41985.00
4.	179	75200.00
5.	180	210810.00
6.	181	93500.00
7.	182	64805.00
8.	183	136000.00
9.	184	135000.00
10.	186	151000.00
11.	187	450337.00
12.	188	138069.00
13.	189	91561.00
14.	190	135942.00
15.	191	415500.00
16.	192	67620.00
17.	193	78500.00
18.	194	470062.00
19.	195	246000.00
20.	197	570723.00
21.	198	22604.00
22.	199	199020.00
23.	200	126500.00
24.	201	241000.00

25.	202	138000.00
26.	203	208435.00
27.	204	212605.00
28.	212	136000.00
29.	213	199445.00
30.	214	135000.00
31.	215	151000.00
32.	216	97740.00
	Total	**5883843.00**

माह 10/2019 हेतु @ 1% की दर से देय लेबर सेस की धनराशि =Rs. **5883843.00 × 1%**

=Rs. **58838.43**

भाग-II (ब)

प्रस्तर स0- 2 : खंड के अंतर्गत विभिन्न विभागो के सापेक्ष 'जल परिव्यय' की कुल धनराशि रु 4.48 लाख की वसूली का लंबित रहना

अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (मार्च 2021) मे पाया गया कि उत्तराखंड शासन के शासनादेश स0 118/उनतीस (1)/2013-(59पे0)/2004 पेयजल अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 29 जनवरी 2013 के अनुपालन मे उत्तराखंड जल संस्थान अपने क्षेत्रान्तर्गत अनुसूची 4 मे दर्शाई गई दर से जल परिव्यय की धनराशि उत्तराखंड जल संस्थान के अंतर्गत विभिन्न इकाईओ के अंतर्गत विभिन्न विभागो से संलग्न तालिका के अनुसार उन विभागो के सम्मुख दिये गए वर्ष से रु 4.93 लाख की धनराशि की वसूली की जानी लंबित थी जो वर्तमान तक भी वसूल नहीं की जा सकी थी जबकि उक्त धनराशि का उपयोग विभाग के वेतन भत्ते एवं अन्य मदों मे खर्च हेतु इस्तेमाल किया जाता है।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड दारा उत्तर मे तथ्य को स्वीकार्य करते हुये बताया गया कि उक्त धनराशि मे से रु 45200/- की वसूली दिनांक 11.03.2021 को कर ली गयी है। खंड द्वारा समय-2 पर संबन्धित विभाग को नोटिस/ पत्राचार के माध्यम से अवशेष धनराशि जमा करने हेतु सूचित किया जाता है एवं शेष धनराशि की वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

खंड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खंड के अंतर्गत उपरोक्त विभागो से उनके सापेक्ष लंबित जल परिव्यय की कुल धनराशि रो रु 4.48 लाख[1] की वसूली की जानी लंबित है जिस पर विलंब शुल्क का भी प्रविधान है, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

[1] रु 4.93 लाख - रु 0.45 लाख = रु 4.48 लाख

भाग – दो 'ब'

प्रस्तर –3 UP Water Supply and Sewerage Act 1975 तथा 14th Finance Commission की Report के दिशानिर्देशों का अवहेलना कर 32077 घरेलू – अघरेलू संयोजन में मीटर विहीन जलापूर्ति किया जाना।

14वें वित्त आयोग रिपोर्ट भाग – 15 के प्रस्तर संख्या 15.50 के अनुसार मार्च 2017 तक राज्य के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में शत प्रतिशत मीटर संयोजन पूर्ण किया जाना था तथा नया संयोजन मीटर के साथ किया जाना था। इसी प्रकार U.P. Water Supply and Sewerage Act 1975 के Chapter VII के बिन्दु संख्या 69 के अनुसार- "The Jal Sansthan may provide a water meter and attach the same to the service pipe in premises connected with water works of the Jal Sansthan" का प्रावधान था। उपरोक्त के विपरीत संस्थान द्वारा शत प्रतिशत मीटर के संयोजन ना कर घरेलू तथा अघरेलू संयोजन में विगत कई वर्षो से जलापूर्ति की जा रही है जो प्रावधानों **के अनुसार** नहीं था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जलसंस्थान, पित्थूवाला, देहरादून की लेखापरीक्षा (मार्च 2021) में पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत कुल 32077 मीटर विहीन संयोजन (जनवरी 2021 तक) किये गये थे जिनका विवरण निम्नानुसार था :–

संयोजन का प्रकार	कुल संख्या	मीटर सहित	मीटर विहीन
घरेलू (domestic)	30014	शून्य	30014
अ–घरेलू (commercial etc.)	2063	शून्य	2063
कुल संयोजन	32077	शून्य	32077

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि मीटर के साथ संयोजन हेतु एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित है जिसके अनुमोदन के उपरान्त ही उक्त कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। खण्ड का उत्तर U.P. Water Supply Act एवं 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के विपरीत था अर्थात् अधिक से अधिक घरों/प्रतिष्ठानों का जल संयोजन हेतु संस्थान द्वारा कोई प्रयास नही किया जा रहा था। जल संस्थान एक स्वायत्त संस्था है कार्यालय के व्यय भार प्राप्त राजस्व पर निर्भर है। यदि संस्थान द्वारा 14वें वित्त आयोग एवं UP Water Supply and Sewerage Act 1975 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाता एवं शत प्रतिशत मीटर संयोजन का प्रयास किया जाता तो संस्थान के राजस्व में बढ़ोत्तरी से इनकार नही किया जा सकता था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(माह अक्टूबर 2020 हेतु ठेकेदारो को किये गये भुगतान एवं उस पर @ 1% की दर से देय लेबर सेस की गणना)

(रु में)

क्रम सं0	जर्नल बाउचर सं0	भुगतान बाउचर की धनराशि
1.	173	22498.00
2.	175	35356.00
3.	176	53817.00
4.	177	107000.00
5.	178	94000.00
6.	179	34965.00
7.	180	67704.00
8.	181	35015.00
9.	182	149600.00
10.	183	15500.00
11.	184	218845.00
12.	185	149407.00
13.	186	217900.00
14.	187	205000.00
15.	188	177144.00
16.	189	178393.00
17.	191	94000.00
18.	192	174000.00
19.	193	635503.00
20.	194	582120.00
21.	195	365050.00
22.	196	329280.00
23.	197	217864.00
24.	198	66990.00
25.	199	190489.00
26.	201	344906.00
27.	202	264884.00
28.	203	1543391.00
	Total	**6570621.00**

माह 10/2020 हेतु @ 1% की दर से देय लेबर सेस की धनराशि =Rs. **6570621.00 × 1%**

=Rs. **65706.21**

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 4 : 15 एमएम वाटर मीटर के अनुपयोगित रहने से रु 30.77 लाख की धनराशि का अवरुद्ध रहना ।

अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, देहरादून के अंतर्गत भंडार पंजिका के अभिलेखो की लेखापरीक्षा (मार्च 2021) मे पाया गया कि खंड के द्वारा 15 mm वाटर मीटर (1500 no.) जिसकी लागत रु 30.77 लाख थी, का procurement वर्ष 2019 से पूर्व से ही किया गया था जिसका उपयोग वर्तमान तक नहीं किया जा सका था जिसके कारण रु 30.77 लाख की धनराशि अवरुद्ध पड़ी थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि इस शाखा के अंतर्गत लगभग 32500 जल संयोजन है किन्तु शाखा को मात्र 1500 की संख्या मे ही मीटर उप्लब्ध कराये गए जिसे यदि चयनित आधार पर लगाया जाता तो विवाद की संभावना थी। जब तक पूर्ण घरो मे मीटर लगाए जाने पर ही उक्त मीटर का उपयोग होगा। उक्त मीटर के सापेक्ष व्यय धनराशि के अवरुद्ध रहने के संबंध मे बताया गया कि उक्त मीटर के शीघ्र ही लगाए जाने के प्रयास किए जाएँगे।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खंड द्वारा प्राप्त मीटर को समयांतर्गत उपयोग किए किए जाने थे जिसके न किए जाने से उक्त के सापेक्ष व्यय धनराशि रु 30.77 लाख अवरुद्ध थी। पुनः मीटर का समय से उपयोग न किए जाने से उक्त के खराब होने एवं वारंटी से भी विमुख होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता, का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या**	**प्रस्तर का विवरण**	
		भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
1.	57/2016-17	1	1,2
2.	56/2019-20	-	1,2,3,4,5,6

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि में हुए समस्त लेखा परीक्षा के प्रस्तरों के उत्तर महालेखाकार कार्यालय को विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग -V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, पित्थूवाला, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

अप्रस्तुत अभिलेखः- शून्य

सतत् अनियमितताएः शून्य

1. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

नाम	पदनाम	अवधि
श्री राजेंद्र पाल	अधिशासी अभियन्ता	22/09/2018 से वर्तमान तक

2. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

लागू नहीं

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, उत्तराखंड जल संस्थान, पित्थूवाला, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गई है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार, (AMG-II) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (NPSUs)